बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक– 02/रेगु०–02–7025/2025– 686 [handwritten] /पटना, दिनांक 17. फरवरी, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय :– **मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल उपबंधित राशि मो० 178,10,00,000.00 (एक सौ अठहत्तर करोड़ दस लाख) रूपये मात्र में से मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर, प० चम्पारण द्वारा 11500 TCD से 13000 TCD तक क्षमता विस्तारीकरण पर हुए अचल पूँजी निवेश पर प्रोत्साहन अनुदान की राशि मो० 8,40,00,000.00 (आठ करोड़ चालीस लाख) रूपये मात्र निकासी, व्यय एवं भुगतान की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–593 दिनांक– 04.03.2014 के द्वारा प्रोत्साहन पैकेज–2014 निर्गत है, जो निर्गमन की तिथि से प्रभावी है। विभागीय संकल्प संख्या–1981 को दिनांक–26.12.2019 से संशोधित किया गया है। प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्र संख्या–2532 दिनांक–31.10.2014 के के माध्यम से मार्गदर्शिका निर्गत है। राज्य सरकार द्वारा राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण समृद्धि एवं विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन सुनिश्चित करने हेतु राज्य में चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना, कार्यरत चीनी मिलों एवं आसवनियों के क्षमता विस्तार का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर, प० चम्पारण द्वारा चीनी मिल का 11500 TCD से 13000 TCD तक क्षमता विस्तारीकरण पर हुए अचल पूँजी निवेश पर प्रोत्साहन अनुदान की राशि मो० 15,00,00,000.00 (पन्द्रह करोड़) रूपये मात्र की अधियाचना प्राप्त हुई है।

2. प्राप्त अधियाचना के आलोक में दावों की जाँच हेतु एक जाँच समिति का गठन किया गया। जाँच समिति द्वारा अपने पत्रांक–401/ईख अनु०सं०, पूसा दिनांक–30.09.2025 के माध्यम से प्राप्त अधियाचना मो० 15,00,00,000.00 (पन्द्रह करोड़) रूपये के विरूद्ध मो० 8,40,00,000.00 (आठ करोड़ चालीस लाख) रूपये मात्र भुगतान करने की अनुशंसा की गयी है।

3. प्रोत्साहन पैकेज की कंडिका–4 में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में दावों की समीक्षा ईखायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक–15.12.2025 को एक बैठक आहूत की गयी थी। समिति द्वारा जाँच दल की अनुशंसा के आधार पर तथा विभागीय प्रोत्साहन पैकेज–2014 के अन्तर्निहित प्रावधानों के आलोक मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर, प० चम्पारण द्वारा 11500 TCD से 13000 TCD तक क्षमता विस्तारीकरण पर हुए अचल पूँजी निवेश पर प्रोत्साहन अनुदान की राशि मो० 8,40,00,000.00 (आठ करोड़ चालीस लाख) रूपये की प्रतिपूर्ति पर अनुशंसा की गयी थी।

4. ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में तथा विभागीय प्रोत्साहन पैकेज–2014 के अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत् मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर, प० चम्पारण को क्षमता विस्तार के पश्चात अचल पूँजी निवेश पर मो० 8,40,00,000.00 (आठ करोड़ चालीस लाख) रूपये के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

5. उक्त राशि मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, तहत् वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल उपबंधित राशि **मो० 178,10,00,000.00** (एक सौ अठहत्तर करोड़ दस लाख) रूपये में से निम्नवत् विकलनीय होगाः–

विपत्र कोड	राशि (रूपये में)
सामान्य श्रेणी मद में मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष–राज्य योजना, लघुशीर्ष–201–चीनी, उपशीर्ष–0103, विषयशीर्ष–3301– आर्थिक सहायता, विपत्र कोड–45–2852082010103	6,94,68,000.00
अनुसूचित जाति श्रेणी मद में मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष–राज्य योजना, लघुशीर्ष–789–चीनी, उपशीर्ष–0101, विषयशीर्ष–3301–आर्थिक सहायता, विपत्रकोड–45–2852087890101	1,34,40,000.00
अनुसूचित जन जाति श्रेणी मद में मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष–राज्य योजना, लघुशीर्ष–796–चीनी, उपशीर्ष–0102, विषयशीर्ष–3301– आर्थिक सहायता, विपत्रकोड–45-2852087960102	10,92,000.00
कुल :–	**8,40,00,000.00**

6. उक्त राशि की निकासी विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा **मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लि०**, हरिनगर, प० चम्पारण को उनके बैंक खाते **SBI, Harinagar Branch, IFS Code- SBIN0002942, Cash Credit A/c No. 11433398177** में Electronic transfer/CFMS के माध्यम से सीधे अन्तरण द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. विभागीय संकल्प संख्या–593 दिनांक–04.03.2014 की कंडिका–3 (क) एवं प्रोत्साहन पैकेज–2014 के कार्यान्वयन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका–11 (क) के आलोक में हरिनगर चीनी मिल प्रबंधन द्वारा विभाग को समर्पित अन्डरटेकिंग निम्नवत् हैः–

"We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of our knowledge and belief and at any stage of time if they are found to be wrong the amount received as incentive will be returned to the Government by the company along with interest at the rate of 15% per annum."

हरिनगर चीनी मिल प्रबंधन द्वारा विभाग को समर्पित किये गये उक्त अन्डरटेकिंग के आलोक में प्रोत्साहन प्राप्त करने के पश्चात् यदि गलत दावा पाया जायेगा तो विभागीय संकल्प संख्या–593 दिनांक–04.03.2014 के तहत प्राप्त धन राशि 15% वार्षिक ब्याज सहित भू–राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी।

8. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–02/रेगु०–02–7025/2025 के पृष्ठ–36/टि० पर प्राप्त है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16/4/2026

10. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। वित्त विभाग के पत्रांक–2561 (वि०) 2 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

16/2/2026

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 02/रेगु०–02–7025/2025–686 स्वी०/ce/पटना, दिनांक 17. फरवरी, 2026

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर, प० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 02/रेगु०–02–7025/2025– 686 स्वी०/ce/पटना, दिनांक 17. फरवरी, 2026

प्रतिलिपि– विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा/लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 02/रेगु०–02–7025/2025–686 स्वी०/ce/पटना, दिनांक 17. फरवरी, 2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 02/रेगु०–02–7025/2025–686 स्वी०/ce/पटना, दिनांक 17. फरवरी, 2026

प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।